निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प हरनावदाशाहजी
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :— 148 / 2017 दावा
दायरा दिनांक :— 06.07..2017
निर्णय दिनांक :— 11.07.2017

उनवान

1. भूरीबाई पत्नी जगदीश जाति लोधा निवासी श्रीपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
2. दुर्गालाल पुत्र दोला जाति लोधा निवासी सालरखोह तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :— 11.07.2017

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 21/2 रकबा 06 बीघा मौजा हरनावदाशाहजी में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 28.06.2017 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बा दिनांक 28.06.2017 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने क प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी गण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव कि गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हरनावदाशाहजी संवत 2071—74 खा संख्या 288 पेश की गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थि होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादीगण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के हरनावदाशाहजी पर उपस्थित हुए। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जमाबन्दी ग्राम हरनावदाशाहजी 2071–74 खाता संख्या 288 के ख0नं0 21/2 रकबा 06 बीघा भूरीबाई पत्नी जगदीश कोम लोधा निवासी श्रीपुरा, दुर्गालाल पुत्र दोला जाति लोधा निवासी सालरखोह के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। वादीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प हरनावदाशाहजी पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम सूरजपुरा खुर्द के ख0नं0 21/2 रकबा 06 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 148/2017	धारा अन्तर्गत 88, RTA	
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		निर्णय दिनांक : 11.07.0.2017
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:- श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल	अभिभाषक प्रतिवादी:-	

वाद शीर्षक

उनवान

1. भूरीबाई पत्नी जगदीश जाति लोधा निवासी श्रीपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां
2. दुर्गालाल पुत्र दोला जाति लोधा निवासी सालरखोह तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प हरनावदाशाहजी पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम सूरजपुरा खुर्द के ख0नं0 21/2 रकबा 06 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक......................................को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

निरन्तर---2पर

नि0 अ0 ओंकार

Through